सत्यमेव जयते

राजस्थान राज–पत्र साधारण	RAJASTHAN GAZETTE Ordinary
साधिकार प्रकाशित	**Published by Authority**

जिल्द 77 पौष 4, गुरुवार, शाके 1947–दिसम्बर 25, 2025 अंक 39
Vol. 77 PAUSA 4 , Thursday, Saka 1947 –December 25, 2025 No. 39

भाग 7

विभिन्न विभागों में प्रदायों के लिए टेण्डर मांगने की सूचनाओं को सम्मिलित करते हुए सार्वजनिक और निजी विज्ञापन आदि।

नाम/उपनाम/सरनेम/परिवर्तन करने का बन्ध–पत्र

[नियम 8 राजस्थान सेवा नियम, वित्त विभाग के आदेश सं. एफ. 1/12./एफ.डी.ई.आर.187, दिनांक 10.04.57 की अनुपालना में]

इस बन्ध–पत्र द्वारा मैं निम्न हस्ताक्षरकर्ता मक्खन लाल बलाई (नया नाम) जो अभी इससे पूर्व मक्खन लाल हरिजन (पुराना नाम) कहलाता था एवं जो कानि. NO. 1049– 471 (सबंधित राज्य कर्मचारी द्वारा उस समय धारित किये गये पद का नाम) के रूप में जिला GRP अजमेर (राज.) (स्थान जहां से राज्य सरकार के विभाग में नियुक्त हो) पर नियुक्त था/थी एतद्द्वाराः–

1. स्वयं तथा मेरे पति/मेरी पत्नी एवं बच्चे तथा दूर के बच्चे जो पूर्णतया आश्रित हों मेरे पूर्व नाम मक्खन लाल हरिजन उपनाम मक्खन लाल हरिजन (सिर्फ) को त्यागता हूँ तथा उसके स्थान पर उसी तारीख से नाम मक्खन लाल बलाई तथा उपनाम मक्खन लाल बलाई ग्रहण करता हूँ एवं इसलिए मैं, मेरे पति/मेरी पत्नी, बच्चे दूर के बच्चे एतद्द्वारा मेरे पूर्व उपनाम मक्खन लाल हरिजन (केवल) से न जाने जाएं तथा पहचाने जाएं बल्कि मेरे द्वारा ग्रहण किये गये उपनाम मक्खन लाल बलाई द्वारा जाने जाएं।
2. उक्त मेरे निश्चय की साक्ष्य के प्रयोजन के लिए घोषणा करता हूँ कि मैं एतद्पश्चात् सभी समय, निजी या सार्वजनिक सभी अभिलेखों, बंध–पत्रों प्रलेखों एवं समस्त कार्यवाहियों, व्यवहारों एवं लेन–देनों में तथा सभी अवसरों पर अपने पूर्व नाम मक्खन लाल हरिजन तथा उपनाम मक्खन लाल हरिजन (सिर्फ) के स्थान पर एवं उसके परिवर्तन में मक्खन लाल बलाई नाम के रूप में तथा मक्खन लाल बलाई उपनाम के रूप में प्रयुक्त करूंगा एवं हस्ताक्षर करूंगा।
3. स्पष्टतः एतद्पश्चात् तथा सभी समय, सभी व्यक्तियों को मुझे, मेरी पत्नी/पति, मेरे बच्चे दूर के बच्चों को तदनुसार नये रखे नाम मक्खन लाल बलाई उपनाम मक्खन लाल बलाई के नाम से सम्बोधित करने के लिए प्राधिकृत करता हूँ तथा उसके लिए निवेदन करता हूँ।

इसके साक्षी में, मैंने अपने पूर्व नाम एवं नये नाम मक्खन लाल हरिजन तथा मक्खन लाल बलाई का वर्णन किया है तथा दिनांक..... को हस्ताक्षर किये हैं।

हस्ताक्षरित निम्नलिखित की उपस्थिति में उपर्युक्त नाम मक्खन लाल बलाई द्वारा जो पूर्व में मक्खन लाल हरिजन कहलाता था हस्ताक्षर किये हैं।

साक्षी

1. विनोद कुमार S/O श्री रामजी लाल
   जाति मीणा, उम्र 40 साल R/o
   टोडा PS नीमका थाना, जिला सीकर
2. सुभाष चन्द शर्मा S/O रामजी लाल
   44 चौधरी कॉलोनी लोहागढ
   अजमेर PS किशनगंज ,अजमेर

हस्ताक्षर
नया नामः मक्खन लाल बलाई
पुराना नामः मक्खन लाल हरिजन

प्रतिहस्ताक्षर
नरेश कुमार शर्मा
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
जी.आर.पी. अजमेर।

25491

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।